ई-भरण पत्र

प्रेषक

श्रम आयुक्त, हरियाणा,
चंडीगढ।

सेवा में

1. सभी अधिष्ठता अधिकारी, श्रम न्यायालय, हरियाणा राज्य।
2. अतिरिक्त श्रम आयुक्त, (एन.सी.आर.), गुरूग्राम
3. सभी उप निर्देशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, हरियाणा राज्य।
4. सभी उप निदेशक, औद्योगिक स्वास्थ्य।
5. सभी उप श्रम आयुक्त, पंचकूला, हरियाणा राज्य।
6. सभी सहायक श्रम आयुक्त, हरियाणा राज्य।
7. सभी सहायक निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, हरियाणा राज्य।
8. सभी सहायक निदेशक, औद्योगिक स्वास्थ्य, हरियाणा राज्य।
9. सभी सहायक निदेशक, औ0स्वा0–कम–सर्टीफाईंग सर्जन, हरियाणा राज्य।
10. कल्याण अधिकारी (महिला), पानीपत व फरीदाबाद।

क्रमांकः स्था0/04/2020/2063-2213 दिनांकः 28/01/2021

विषयः– **Regarding implementation of e-office in all departments' district HQ/field offices.**

उपरोक्त विषय पर कार्यालय के पत्र क्रमांक स्था/04/2020/14503–622 दिनांक 16.12.2020 की निरंतरता में।

विषय सम्बंध में आपको सूचित किया जाता है कि हरियाणा सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश अनुसार श्रम विभाग के मुख्यालय पर ई–ऑफिस प्रणाली लागू की जा चुकी है। अब मुख्यमंत्री डिजिटल सेल, मुख्य सचिव, हरियाणा और सूचना प्रोद्योगिकी इलैक्ट्रोनिक्स और संचार विभाग, हरियाणा द्वारा निर्देश दिये गये है कि क्षेत्रीय कार्यालयों में भी वर्ष 2020 के अंत तक ई–ऑफिस लागू किया जाये, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय कार्यालयों की कार्यक्षमता में सुधार लाना है ।

हारट्रोन द्वारा सूचित किया गया था कि उनके द्वारा जिला स्तर पर जिला सूचना अधिकारी ई–ऑफिस की ट्रेनिंग पूर्ण करवाने के लिए अधिकृत किये गये है। क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों /कर्मचारियों ने ई–ऑफिस से संबंधित ट्रेनिंग नहीं ली है तो वह हारट्रोन द्वारा नियुक्त जिला सूचना अधिकारी से संपर्क स्थापित करके ई–ऑफिस से संबंधित ट्रेनिंग पूर्ण करते हुए मुख्यालय को दो दिन के अन्दर–अन्दर सूचित करने बारे कहा गया था परंतु कार्यालय रिकार्ड अनुसार उप श्रम आयुक्त, रोहतक, सहायक श्रम आयुक्त, रेवाड़ी एवं सहायक श्रम आयुक्त, सर्कल–2, यमुनानगर को छोडकर किसी भी क्षेत्रीय कार्यालयों से ट्रेनिंग पूर्ण होने बारे अभी तक रिर्पोट प्राप्त नहीं हुई है।

अतः आपसे अनुरोध है कि अपने अपने कार्यालय से संबंधित ट्रेनिंग पूर्ण होने बारे अपनी रिर्पोट दो दिन के अन्दर–अन्दर मुख्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करे। इसके अतिरिक्त ई–ऑफिस में कार्य करना शुरू हुआ या नहीं इस बारे भी सूचित करे।

अतः इसे अति आवश्यक समझें।

अधीक्षक (स्था0)
कृतेः श्रम आयुक्त, हरियाणा।